

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम 85-IV/2019/195

दिनांक: 19/6/2019

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 9.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री मनोज मीणा, रेडियोग्राफर को 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर निम्नानुसार एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

सं.	कर्मचारी का नाम व पद	प्रथम नियुक्ति दिनांक	दिनांक व पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1	श्री मनोज मीणा, रेडियोग्राफर सीएचसी भीमगंज मण्डी, कोटा।	8.2.1999	8.2.2017 18 वर्ष	L - 10	L - 11

कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

||  
( मुकुल शर्मा )  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम 85-IV/2019/195 दिनांक : 19/6/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आक्षेपक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा।
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमगंज मण्डी, कोटा।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

||  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर